छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 03.09.2016

क्रमांकः 2667/एफ 21/03/2016/13/2: राज्य के विद्युत पहुंचविहीन क्षेत्रों के कृषको को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा ''सौर सुजला'' योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 11 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है।

''सौर सुजला'' योजना हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैः–

(1) **उद्देश्यः–**

''सौर सुजला'' योजना का उद्देश्य प्रदेश के विद्युत पहुंचविहीन क्षेत्रों के कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना किया जाना है। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ भू–जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

(2) **योजना का विस्तार**

वर्तमान में ''सौर सुजला'' योजना के सभी विद्युत पहुंचविहीन उपभोक्ताओं के लिए है।

(3) **क्रियान्वयन एजेंसी**

योजना अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से किया जाएगा।

(4) **हितग्राहियों का चयन**

योजना अंतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग में बोरवेल/पंप अनुदान हेतु संचालित विभिन्न योजना में चयनित हितग्राहियों को सौर सुजला योजना के लाभ की पात्रता रहेगी।

(5) सोलर पम्प स्थापना हेतु आवेदन

1. कृषि विभाग द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 में कृषकों से आवेदन प्राप्त कर, सोलर पम्प स्थापना हेतु आवेदन पत्र अनुशंसा सहित सहायक यंत्री, क्रेडा को प्रेषित किये जाएंगे।
2. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सहायक यंत्री क्रेडा द्वारा अधिकतम 15 दिवस में प्रकरण का तकनीकी परीक्षण सिस्टम इन्टीग्रेटर के साथ किया जाएगा तथा प्रपत्र–2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। तदोपरांत सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा हितग्राही से हितग्राही अंशदान एवं संयंत्र क्षमता अनुसार रूपये 1/–प्रतिवॉट की दर से प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त की जाएगी।
3. सोलर पम्प स्थापना हेतु हितग्राही द्वारा प्रपत्र–3 में अनुबंध पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राही से आवेदन के साथ अंशदान एवं प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त होने पर कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय क्रेडा द्वारा अधिकतम 15 दिवस में संयंत्र स्थापना कार्य हेतु स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। स्वीकृति उपरांत सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा अधिकतम 60 दिवस में सोलर पम्प की स्थापना कार्य पूर्ण किया जाएगा।
5. सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा पम्प स्थापना उपरांत अधिकतम 15 दिवस में अनुदान विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएंगे।

3/9/16

Scanned by CamScanner

(6) सौर सुजला हेतु वित्तीय प्रबंधन

6.1 वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तीय प्रबधन नीचे दर्शाये अनुसार की जाएगी.–

क्र.	विभाग	राज्यांश / केन्द्रांश	11 हजार पंप हेतु वित्तीय व्यवस्था	प्रति पंप हेतु देय अनुदान
1	कृषि विभाग की शाकम्भरी / किसान समृद्धि योजना अथवा अन्य माध्यम जैसे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी)– बोर्ड से उपलब्ध कराई जाने वाली राशि ।	पंप के क्रय हेतु राज्यांश	21 करोड़	कृपया देखें नीचे तालिका
2	सोलर पंप सिस्टम के लिए ऊर्जा विभाग का अनुदान	पंप क्रय हेतु राज्यांश	110 करोड़	1,00,000
3	एमएनआरई से प्राप्त योग्य सहायता	केन्द्रांश	151.88 करोड़	1,51,875
4	राज्य / केन्द्र द्वारा देय कुल अनुदान		283.26 करोड़	2,51,894
5	हितग्राही का अंश*		14.82 करोड़	कृपया देखें नीचे तालिका
6	वित्त विभाग द्वारा नाबार्ड से ऋण के मद में उपलब्ध कराई गई राशि ।		123.86 करोड़	

6.2 पंप की क्षमता एवं हितग्राहियों के संवर्ग के अनुसार कृषि विभाग द्वारा देय अनुदान एव हितग्राहियों के अंशदान का आंकलन नीचे तालिका अनुसार निर्धारित किया जाएगा .–

क्र.	पंप का विवरण	कृषि विभाग द्वारा देय अनुदान			हितग्राही का अंशदान		
	क्षमता / प्रकार	अ.जा. /अ.ज.जा	अन्य पि. वर्ग	सामान्य	अ.जा. /अ.ज.जा.	अन्य पि. वर्ग	सामान्य
1	3 एचपी / 2700 वॉट–एसी सरफेस	25000	20000	15000	7000	12000	18000
2	3 एचपी / 3000 वॉट–एसी सबमर्सिबल	25000	20000	15000	7000	12000	18000
3	5 एचपी / 4800 वॉट–एसी सबमर्सिबल	25000	20000	15000	10000	15000	20000

3/9/16

Scanned by CamScanner

i. कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में शाकम्भरी योजना/किसान समृद्धि योजना अथवा माध्यम जैसे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड से उपलब्ध राशि में से, प्रत्येक हितग्राहियों की पात्रतानुसार देय प्रति पंप अनुदान के मान से आंकलित राशि क्रेडा को अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी।

ii. ऊर्जा विभाग द्वारा "कृषि पंपों के ऊर्जीकरण" की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में निःशुल्क सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक लाईन विस्तार के लिए प्रावधानित राशि में से सोलरपंप की स्थापना के लिए रूपये एक लाख प्रति पंप के मान से देय अनुदान की राशि क्रेडा को अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. भारत सरकार के नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सिंचाई हेतु सोलर पंप की स्थापना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वीकृत लक्ष्य की सीमा तक प्रावधानित अनुदान की राशि क्रेडा को उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. क्रेडा में सोलर पम्प स्थापना हेतु पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर, हितग्राही द्वारा देय अंशदान सीधे प्राप्त करेंगे और भुगतान की पुष्टि में बिल जारी करेंगे।

v. सोलर पंप के स्थापना लागत में से राज्य/केन्द्र द्वारा देय कुल अनुदान एवं हितग्राही के अंश को समायोजित कर शेष राशि नाबार्ड से ऋण के रूप में क्रेडा को ऊर्जा विभाग के माध्यम से अग्रिम उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) सोलर पंप के क्रय एवं स्थापना की प्रक्रियाः–

i. सोलर पंप की स्थापना क्रेडा में पंजीकृत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

ii. सिस्टम इंटीग्रेटर को सोलर पंप के संचालन/संधारण हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में स्पेयर पार्ट्स एवं तकनिशियनों का अमला क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखना अनिवार्य होगा।

iii. क्रेडा में पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सोलर पंप के विक्रय हेतु मूल्य सूची क्रेडा के वेबसाईट तथा क्रेडा द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जायेगी। पंप की क्रय दर का निर्धारण अर्ह पंजीकृत अनुभवी सिस्टम इंटीग्रटरों के मध्य सीमित निविदा कि माध्यम से किया जाएगा।

iv. हितग्राही स्वयं के अंशदान की राशि का भुगतान सीधे सिस्टम इंटीग्रेटर को करेंगे और बिल प्राप्त करेंगे। सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा हितग्राही के बोरवेल/खेत के समीप नदी–नालों/कुओं के समीप सोलर पंप की स्थापना की जावेगी तथा स्थापित सिस्टम के निरीक्षण उपरांत पंप के सफलता पूर्वक संचालन की पुष्टि होने पर सिंस्टम इंटीग्रेटर द्वारा उचित माध्यम से अनुदान राशि की विमुक्ति का प्रस्ताव क्रेडा मुख्यालय में नामित अधिकारी के पास प्रेषित किया जाएगा।

v. सोलर पंप की स्थापना कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पंप हेतु जारी तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) क्रेडा में पंजीकृत सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

1. सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा हितग्राही के बोरवेल, कुंआ/खेत के आस–पास नदी–नालों पर स्थापित किए जाने वाले पंप के प्रकार एवं क्षमता के संबंध में हितग्राही को परामर्श दिया जायेगा तथा सोलर पंप पर वारंटी के संबंध में हितग्राही को जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा।

3/9/16

Scanned by CamScanner

2. सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा क्रेडा द्वारा अनुमोदित डिजाईन/मापदण्डों के अनुरूप चयनित स्थल पर सोलर पैनल, कंट्रोलर/वी.एफ.डी. कंट्रोलर, सबमर्सिबल/सर्फेस पंप की स्थापना का कार्य किया जाएगा।
3. सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा सोलर पैनल हेतु 10 वर्ष एवं सोलर पंप पर 05 वर्ष की वारंटी उपलब्ध कराई जायेगी। वारंटी की शर्तो की जानकारी हेतु उचित प्रचार प्रसार क्रेडा द्वारा किया जाएगा।
4. सोलर पैनल/सौर सिंचाई पंप के संचालन से संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर वारंटी की शर्तो के अधीन शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा।
5. सौर सिंचाई पंपों के संचालन के संबंध में वारंटी की अवधि में हितग्राही से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा पर्याप्त संख्या में स्पेयर्स एवं तकनिशियनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी। इस हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर को विकासखण्ड स्तर पर कॉल सेन्टर स्थापित करना होगा।
6. सौर सिंचाई पंपों के संचालन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए क्रेडा द्वारा मुख्यालय एवं जिलास्तर पर पंप के संचालन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए कॉल सेन्टर की स्थापना पृथक से की जायेगी एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई की जाएगी।

(9) अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र

योजना अंतर्गत विमुक्त की गई अनुदान राशि के व्यय की पुष्टि में उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रेडा द्वारा ऊर्जा विभाग के माध्यम से संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) योजना की समीक्षा

योजना की समीक्षा निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तरीय समिति–

भारसाधक सचिव, ऊर्जा विभाग	–	अध्यक्ष
भारसाधक सचिव, कृषि या उनके नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
भारसाधक सचिव, वित्त या उनके नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी	–	सदस्य
सीईओ, क्रेडा	–	सदस्य सचिव

– राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में अथवा आश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी।

जिला स्तरीय समिति–

कलेक्टर	–	अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सह अध्यक्ष
उपसंचालक, कृषि	–	सदस्य
कार्यपालन यंत्री, छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी	–	सदस्य
सहायक यंत्री, क्रेडा	–	सदस्य सचिव

3/9/16

Scanned by CamScanner

– जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी तथा बैठक कार्यवाही विवरण सी.ई.ओ. क्रेडा एवं ऊर्जा विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

ऊर्जा विभाग द्वारा समय–समय पर योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु आवश्यकता अनुसार पृथक से दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

3/9/16
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृ0क्रमांक : **2668 / एफ 21 / 03 / 2016 / 13 / 2** नया रायपुर, दिनांक 03.09.2016

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री (ऊर्जा विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, सलाहकार मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, छ0रा0 विद्युत कंपनीज मर्या0 रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
6. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त / जल संसाधन / ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
8. प्रबंध संचालक, छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।
9. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), व्ही. आई.पी. (एयरपोर्ट) रोड, ऊर्जा पार्क के पास, ग्राम–फुण्डहर, रायपुर।
10. संचालक, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
11. कार्यपालक निदेशक, (संचा. / संधा.), छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।

3/9/16
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

Scanned by CamScanner